

प्रमाण

श्री अशोक सांगुली,  
उप सचिव,  
उच्च शिक्षण विभाग ।

देना है

विशेष  
श्री अशोक सांगुली, उप सचिव,  
उच्च शिक्षण विभाग, नई दिल्ली।  
श्री अशोक सांगुली, उप सचिव,  
उच्च शिक्षण विभाग, नई दिल्ली।

विशेष 171 अनुभाग


तारीख: दिनांक: 24 अगस्त, 1995


विषय:- श्री अशोक सांगुली द्वारा शिक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली को लिखित पत्रों में  
विशेष 171 अनुभाग के अंतर्गत प्रमाण पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि श्री अशोक सांगुली  
द्वारा शिक्षा मन्त्रालय को लिखित पत्रों में नई दिल्ली से सम्बन्ध प्राप्त किये  
जाने में इस राज्य सरकार को नि-निरहित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 शिक्षा मन्त्रालय को पेश किये गये प्रस्तावों का समय समय पर परीक्षा करवाया जायेगा।
- 121 शिक्षा मन्त्रालय से प्राप्त विदेशी द्वारा वापिस रकम सहाय्य होगी।
- 131 शिक्षा मन्त्रालय में काम के काम पर प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उच्चतर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाचित विद्यालयों में विद्यमान छात्रों के लिए निर्धारित पुस्तक ले अधिक पुस्तक नहीं लिये जायेगा।
- 141 सेवा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को नहीं ली जायेगी और यदि पूर्व में शिक्षा मन्त्रालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/अज्ञात पत्र से इंडियन स्कूल सर्विस लिमिटेड इन्फार्मेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्ध प्राप्त होने की तारीख से परिषद से सम्बन्ध राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 151 सेवा के लिए एवं शिक्षण के लिए को राज्य सरकार सहाय्य प्राप्त शिक्षण के लिए के परिषदों को अनुसूचित वर्तमानों तथा अन्य वर्गों के काम के सम्बन्ध तथा अन्य वर्गों नहीं दिये जायेगे।
- 161 परिषदों को सेवा में बनायी जायेगी और उन्हें सहाय्य प्राप्त माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

  
M.L. Sah  
Principal  
M.L. Sah Bal Vidya Mandir  
Nainital

  
Principal  
M.L. Sah Bal Vidya Mandir  
NAINITAL

17. शिक्षा विभाग द्वारा दिये गए सम्मान पत्र को ध्यान में रखते हुए प्रमाण, संस्था उत्सव आयोजन करेगी।

18. विद्यार्थी का रिकार्ड नियमित प्रभाव/संज्ञा में रखा जाएगा।

19. उत्सव यज्ञों/ में राजा सरकार के पूर्व/सुमोहन के जिना बोर्ड परिसर/संज्ञा या परिसर नहीं दिया जाएगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि सम्मान पत्रों को पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि -

11. विद्यार्थी में कार्यरत सम्मान अध्यापक/अध्यापिकाएँ उपस्थित तथा हई है।

12. कार्यरत अध्यापिकाओं को मानकानुसंग नियमित वेतन बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है।

13. विद्यार्थी में कार्यरत अध्यापिकाओं को सेवा नियमनवली तालिका/संज्ञा में दर्ज दिनों की पूर्ण विद्यार्थी के अनुसूचि वर्ग है।

14. पंजीकरण तथा कागजपत्ती के निधि/प्र. में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

3- उत्सव प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी सम्मान यह पाला जाता है कि संस्था द्वारा उत्सव प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है जयवा माहान करने में किसी प्रकार की चूक या कमियाँ बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस हो लिया जाएगा।

महतीय,


उत्सव समिति  
उपस्थित।


संज्ञा 111/15-7-1995 तद्विनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुवार्ध एवं सम्मानित कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, गजनऊ।
- 2- महतीय उप शिक्षा निदेशक कुनारु गजन वैनीताल।
- 3- जिना विद्यार्थी निरीक्षक गजनताल।
- 4- निरीक्षक, उत्तर भारतीय विद्यालय उजुग गजनऊ।
- 5- प्रबन्धक, नौदर गजन गज बाग विद्या संस्थान वैनीताल।

  
Manager  
M.L. Sah Bai Vidya Mandir  
Nainital

  
Principal  
M.L. Sah Bai Vidya Mandir  
NAINITAL